न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस..

राजस्व आवेदन संख्या – 37 / 2026

उनवान

प्रार्थी

1.घमण्डा पुत्र सोना
2.देरा पुत्र सोना
3.मुला पुत्र सोना
4.सताराम पुत्र राऊराम जाति मेघवाल निवासी रामदेरिया तला खडीन तहसील रामसर जिला बाडमेर।

विप्रार्थीगण

1.अणदाराम पुत्र टीकूराम
2. भोमाराम पुत्र टीकूराम
3.तगीदेवी पत्नी टीकूराम
4.उगराराम पुत्र भीमाराम
5. किशनाराम पुत्र भीमाराम
6. रंमभादेवी पत्नी भीमाराम
7.चान्दा पत्नी बालाराम
8.नानगाराम पुत्र बालाराम
9.भोमाराम पुत्र बालाराम
10.सुरजनराम पुत्र बालाराम जाति मेघवाल निवासी देवराज नगर खडीन तहसील रामसर जिला बाडमेर।
11.पनाराम पुत्र भीखाराम
12.भूरा राम पुत्र चेतन
13.रेवन्ता राम पुत्र चेतन
14.उम्मेदाराम पुत्र देवाराम
15.उमाराम पुत्र देवाराम
16.लाखाराम पुत्र देवाराम
17.राजादेवी पत्नी देवाराम
18.सजनीदेवी पत्नी सोनाराम जाति जाट निवासी रामदेरिया तला खडीन तहसील रामसर जिला बाडमेर।
19.देवाराम पुत्र अचलाराम
20.लुणाराम पुत्र अचलाराम
21.मु.बादली पत्नी अचलाराम जाति भील निवासी रामदेरिया तला खडीन तहसील रामसर जिला बाडमेर
22.अरविंदकुमार पुत्र उदाराम
23.विनोदकुमार पुत्र उदाराम
24.सुमन पत्नी उदाराम
25.उदाराम पुत्र रेखा
26.धनाराम पुत्र रेखा
27.धापू पत्नी रेखा
28.नीबाराम पुत्र रेखा
29.नाबालिग कंवराज पुत्र देवाराम संरक्षक माता चंदू पत्नी देवाराम
30.नाबालिग गोसाईराम पुत्र देवाराम संरक्षक माता चंदू पत्नी देवाराम
31.चंदू पत्नी देवाराम
32.[illegible] पुत्र खंगार
33.[illegible]ाराम पुत्र खंगार
34.[illegible]
35.[illegible] पुत्र खंगार
36.पुरोदेवी पत्नी खंगार
37.हीराराम पुत्र खंगार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.05.21 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रामसर

Scanned with OKEN Scanner

38.गोमाराम पुत्र जैसा
39.मुला पुत्र जैसा
40.मेहाराम पुत्र जैसा
41.जगना पुत्र तेजाराम
42.जीजू कुमारी पुत्री तेजाराम
43.पदमाराम पुत्र तेजाराम
44.सुगणी देवी पत्नी तेजाराम
45.रमेशकुमार पुत्र हेमा
46.रावताराम पुत्र हेमा
47.हीरो पत्नी हेमा जाति मेघवाल निवासी रामदेरिया तला,खडीन तहसील रामसर जिला बाडमेर।
48.इमियो देवी पत्नी राणाराम सुनार
49.केशाराम पुत्र राणाराम
50.भेराराम पुत्र राणाराम
51.दिलीप पुत्र नरसिंगाराम
52.रामलाल पुत्र नरसिंगाराम
53.लैला पत्नी नरसिंगाराम जाति सुनार निवासी खडीन तहसील रामसर जिला बाडमेर
54.तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी

आदेश दिनांक :– 17.04.2026

प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री कंवराज बेनिवाल की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 25.02.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा रामदेरिया तला पटवार मण्डल खडीन भूअनि खडीन के खसरा संख्या 522 रकबा 15.2647 हेक्टयर, उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की पक्की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावे। आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। विप्राथीगण को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी होने के बावजूद बाद तामिल विप्रार्थी संख्या 1 से 53 अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। एवं विप्रार्थी संख्या 54 भूमिधारी होनें से ओपचारिक रूप से संयोजित किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा रामदेरिया तला पटवार मण्डल खडीन भू.अ.नि. खडीन के खसरा संख्या 522 रकबा 15.2647 हेक्टयर,भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000/– अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय का स्थगन एवं मौके पर फसल खड़ी होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बावत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरें के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करवाये जावें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

यह आदेश आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.05.21 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी रामसर

उपखण्ड अधिकारी
रामसर

Scanned with OKEN Scanner